**भारत सरकार**

**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 190**

**सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947, (शक)**

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए विशेष पहलें और बजटीय सहायता**

**190. एडवोकेट चन्द्र शेखरः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार, कौशल और उद्यमिता के अवसरों में सुधार लाने के लिए समर्पित योजनाओं और बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा युवा रोजगार के लिए हाल ही में घोषित प्रधानमंत्री पैकेज सहित इन पहलों से अपेक्षित लक्ष्य, निगरानी तंत्र और परिणाम क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उक्त समुदायों के अर्ध-कुशल और अकुशल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समुदायों के लिए सुरक्षित रोजगार और नियोजन दरों को बढ़ाने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक सरकार की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत उक्त लाभार्थियों के कितने प्रतिशत को रोजगार प्रदान किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक समूह के लिए सृजित प्रतिशत और प्राप्त नियोजन का ब्यौरा क्या है और इन समुदायों के लिए पहुंच और प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा क्या है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री**

**(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)**

(क) से (ङ): वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन के साथ-साथ अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवंटन **अनुबंध** में दिया गया है।

जारी...2/-

इसके अतिरिक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 राष्ट्रीय करियर सेवा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों के कल्याण संबंधी योजना" को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य व्यावसायिक मार्गदर्शन, करियर परामर्श, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वालों की रोजगार-क्षमता को बढ़ाना है। वर्ष 2025-26 के लिए, योजना के तहत 20.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं की निगरानी के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं।

रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रोजगार चाहने वालों (अर्धकुशल और अकुशल सहित) की संख्या (**हजार में**) निम्नानुसार है:

| **कैलेंडर वर्ष** | **अनुसूचित जाति** | **अनुसूचित जनजाति** | **अन्य पिछड़ा वर्ग** |
|---|---|---|---|
| **2021** | 361.89 | 166.53 | 646.04 |
| **2022** | 709.90 | 242.30 | 967.00 |
| **2023 (अनंतिम)** | 1072.00 | 480.40 | 1780.0 |

रोजगार सृजन के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों की रोजगार-क्षमता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है।

विशेष रूप से युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है। इस योजना के तहत, जहां पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन (15,000 रुपये तक) मिल सकता है, वहीं नियोक्ता अतिरिक्त रोजगार सृजित करने के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र को दो अतिरिक्त वर्षों के लिए लाभ मिलेगा।

ईएलआई योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने के लिए पांच योजनाओं के प्रधानमंत्री के पैकेज के भाग के रूप में की गई थी। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, ईएलआई योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों

(पहली बार नौकरी में आने वालों के लिए 1.92 करोड़ नौकरियों सहित) के सृजन को प्रोत्साहित करना है। ईएलआई योजना के साथ, सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कौशल एवं शिक्षा संबंधी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ताकि उन्हें रोजागर के लिए तैयार किया जा सके। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) एमओएमए की एक प्रमुख योजना है, जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण करती है और कौशल विकास के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान: अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व; और स्कूल छोड़ने वालों के लिए शिक्षा सहायता पर केंद्रित है। पीएम विकास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 267.29 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है। इस योजना में एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र है जिसमें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच) पोर्टल पर अभ्यर्थी के संपूर्ण जीवनवृत्त को कैप्चर किया जा रहा है।

इसके अलावा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) अपनी विभिन्न प्रमुख योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल प्रशिक्षण (कौशल, पुन: कौशल और कौशल वृद्धि) प्रदान करता है।

सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

* *****

**अनुबंध**

**"अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के रोजगार के लिए विशेष पहल और बजटीय सहायता" के संबंध में 21.07.2025 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 190 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

| क्र. सं. | योजना का नाम | बजट अनुमान 2025-26 (राशि करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | श्रम और रोजगार सांख्यिकीय प्रणाली (एलईएसई) | 72.72 |
| 2 | श्रमिक कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) | 50.68 |
| 3 | कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 | 11250.00 |
| 4 | असम में चाय बागान कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा | 66.87 |
| 5 | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसआईएम) योजना | 244.02 |
| 6 | व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) | 5.10 |
| 7 | ई-श्रम पोर्टल - असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस | 27.80 |
| 8 | बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास | 6.00 |
| 9 | एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोचिंग और मार्गदर्शन | 20.61 |
| 10 | राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) | 77.00 |
| 11 | नई रोजगार सृजन योजना (एनईजीएस) - ईएलआई | 20000.00 |
| | कुल | **31820.80** |

*****